राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह 16 अक्टूबर, 2009 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 2 का संशोधन.**–राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं.16), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(i) उसके विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (कक) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(क) ''शीर्ष सहकारी बैंक'' से ऐसी शीर्ष सोसाइटी अभिप्रेत है जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई है; '' ;

(ii) विद्यमान खण्ड (घ) में, अन्त में आये हुए विराम चिह्न '' ; '' के स्थान पर विराम चिह्न '' : '' प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्बन्धन लागू नहीं होंगे। '';

(iv) विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(घक) ''केन्द्रीय सहकारी बैंक'' से ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी अभिप्रेत है जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियां हैं और जो बैंककारी के व्यवसाय में लगी हुई है;'';

(v) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(तक) ''राष्ट्रीय बैंक'' से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम,1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम सं.61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है;'';

(vi) विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(थक) ''प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी'' से बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.10) की धारा 5 के खण्ड (गगiv) के अधीन यथा परिभाषित और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;'';

(vii) विद्यमान खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(नक) ''भारतीय रिजर्व बैंक'' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;''; और

(viii) विद्यमान खण्ड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(भक) ''लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी'' से, या तो शीर्ष स्तर पर, केन्द्रीय स्तर पर या

प्राथमिक स्तर पर लघु अवधि सहकारी साख व्यवसाय में लगी हुई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है और इसमें शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी सम्मिलित है;''।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 5 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 5 में विद्यमान उप–धारा (3) के पश्चात् एक नयी उप–धारा (4) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''(4) किसी भी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसके परिसंघ या संगम (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है) को उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द ''बैंक'' या शब्द ''बैंक'' के किसी भी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा या वह अपने नाम के भाग के रूप में उसका उपयोग नहीं करेगा :

परन्तु जहां किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसके परिसंघ या संगम को (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.10) के अधीन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं.7) के प्रारंभ से पूर्व उसके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द ''बैंक'' या उसके व्युत्पन्न शब्दों में से किसी के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर अपना नाम परिवर्तित करेगा ताकि धारा 9 के उपबंधों के अनुसार उसके नाम से शब्द 'बैंक' या उसका व्युत्पन्न शब्द, यदि कोई हो, हटाया जा सके:

परन्तु यह और कि जहां पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट कोई सोसाइटी उक्त परन्तुक के उपबंधों का, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है, वहां रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश करेगा।''।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 15 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 15 में विद्यमान उप—धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप—धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—

''(4) उप—धारा (2) या उप—धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यष्टि, जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में ऐसी न्यूनतम रकम, ऐसी न्यूनतम कालावधि के लिए, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, जमा कराता है तो वह उस कालावधि, जिसके दौरान जमा राशि सोसाइटी में रहती है, पूर्ण मतदान अधिकारों सहित उस सोसाइटी का सदस्य समझा जायेगा। ''।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 27 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 27 की विद्यमान उप—धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप—धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप—धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—

''(2—क) उपर्युक्त उप—धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में वृत्तिकों की इतनी संख्या होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाये और जो लेखांकन, विधि, बैंककारी, प्रबंध, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले या ऐसे क्षेत्रों, यदि कोई हों, में ऐसा ज्ञान या अनुभव रखने वाले हों, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, और यदि ऐसी संख्या में वृत्तिक निर्वाचित नहीं होते तो, ऐसे शीर्ष सहकारी बैंक या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति यह विचार किये बिना कि आया ऐसे वृत्तिक सदस्य हैं या नहीं, ऐसी संख्या में वृत्तिकों को पूर्ण मतदान अधिकारों सहित सहयोजित कर सकेगी:

परन्तु जहां अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं के बिना कोई व्यक्ति इस उप—धारा के अधीन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर लिया जाये, वहां उसका सहयोजन अकृत और शून्य समझा जायेगा और उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा। ''।

6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में एक नयी धारा 27–क का अन्तःस्थापन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के पश्चात् और विद्यमान धारा 28 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''27–क. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और हटाया जाना.–(1) शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित बैंक की समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसे मानदंड पूरे करेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत किये जायें।

(2) कोई व्यक्ति जो शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा–नियत मानदंड पूरे नहीं करता है तो वह ऐसे पद के लिए अपात्र समझा जायेगा और यदि ऐसा व्यक्ति पद धारण करता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय की सलाह प्राप्त होने पर हटा दिया जायेगा।''।

7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 28 में,–

(i) विद्यमान उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का, उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उप–विधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है:

परन्तु यह निरर्हता किसी सदस्य–सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।''; और

(ii) यथापूर्वोक्त संशोधित उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''(3–क) उप–धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष

सहकारी बैंक की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित, नामनिर्देशित, या अन्यथा नियुक्त किये जाने के लिए, या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह–

(i) किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी सोसाइटी उसके द्वारा ऐसे बैंक से लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में नब्बे दिवस से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है;

(ii) ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का व्यतिक्रमी है या ऐसी किसी व्यतिक्रमी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, जो एक वर्ष से अधिक की कालावधि से व्यतिक्रमी है, का प्रतिनिधि है, जब तक कि व्यतिक्रम दूर न कर दिया जाये;

(iii) ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी समिति अधिक्रांत कर दी गयी है या उसकी स्वयं की समिति में सदस्य न रहा हो। ''।

8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 29 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 29 में,–

(i) उप–धारा (1) में, अन्त में आये हुए विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न '' : '' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप–धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि यदि सरकार ने शेयर पूंजी में अभिदाय किया हो तो राज्य सरकार को शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में केवल एक सदस्य नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा और वह शेयर पूंजी में सरकार के अभिदाय को विचार में लाये बिना किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति में कोई सदस्य नामनिर्देशित नहीं करेगी।''

(iii) विद्यमान उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(2) इस अधिनियम या किसी सोसाइटी की उप–विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार ने किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है, वहां सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य प्राधिकारी, उप–धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा और उसे ऐसी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जो समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा। सरकार या यथानिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।''।

9. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 30 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 30 में,–

(i) विद्यमान उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उप–विधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित या जिम्मे लिये गये अन्य विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा उसके या अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है या राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी सोसाइटियों के संबंध में

समय–समय पर बनाये या जारी किये गये विनियमों का अनुपालन नहीं करता है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति या, यथास्थिति, ऐसी समिति के सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा।''।

(ii) विद्यमान उप–धारा (2) में खण्ड (ख) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:–

परन्तु इस धारा के अधीन शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति के हटाये जाने के पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया जायेगा:

परन्तु यह और कि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर समिति के हटाये जाने और शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया ऐसी सिफारिश से एक मास के भीतर–भीतर पूरी की जायेगी:

परन्तु यह भी कि किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति को निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय नहीं हटाया जायेगा, अर्थात्:–

(क) सोसाइटी को निरन्तर तीन वर्षों में हानि हुई है; या

(ख) सोसाइटी में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं या कपट की पहचान हुई है; या

(ग) इस आशय के न्यायिक निदेश हैं; या

(घ) समिति में गणपूर्ति की स्थायी कमी है;''; और

(iv) विद्यमान उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति को

भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर ऐसी सिफारिश किये जाने के एक मास के भीतर–भीतर रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित में हटाया या अधिक्रांत किया जायेगा।''।

10. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 30–क और 30–ख का अंतःस्थापन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30 के पश्चात् और विद्यमान धारा 31 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''**30–क. भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की बाध्यताएं.**–(1) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि समिति के अधिक्रमण की या शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन की सिफारिश सहित भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निर्देशों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दिये जाने से एक मास के भीतर–भीतर क्रियान्वयन कर लिया गया है ।

(2) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिसमापन या समिति के अधिक्रमण के लिए सलाह दिये जाने से एक मास के भीतर–भीतर परिसमापक या, यथास्थिति, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ।

(3) रजिस्ट्रार, शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक मास के भीतर–भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड पूरे नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(4) रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा सलाह दिये जाने पर धारा 27 की उप–धारा (2–क) के अधीन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या सहयोजित ऐसे किसी व्यक्ति का, जो उसमें वर्णित अपेक्षित अर्हता न रखता हो, एक मास के भीतर–भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेगा।

30–ख. समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता.–इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी लघु अवधि सहकारी

साख सोसाइटी को निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी, अर्थात्:–

(क) कार्मिक नीति, कर्मचारिवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारिवृन्द को प्रतिकर;

(ख) अपनी पसंद की किसी परिसंघीय संरचना में किसी भी स्तर पर सम्मिलित होने और बाहर जाने को सम्मिलित करते हुए उससे संबद्धता या असंबद्धता से संबंधित मामले।

(ग) अपनी कारबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र; और

(घ) आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां। ''।

11. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 44 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 44 में,–

(i) उप–धारा (1) में विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप–धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि सरकार किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेगी और ऐसी सोसाइटी या सरकार के पास सरकार की शेयर पूंजी और घटाने का विकल्प होगा ।''।

12. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 में नयी धारा 47–क का अंत:स्थापन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 47 के पश्चात् और विद्यमान धारा 48 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''47–क. प्रूडेंशियल मानक.–कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी जोखिम भारित आस्ति अनुपात के लिए पूंजी को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्रूडेंशियल मानकों का अनुसरण करेगी जो राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।''।

13. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 48 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 48 में,—

(i) उप—धारा (2) में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप—धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:—

''परन्तु कोई लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी किसी ऐसी निधि, जो इसके शुद्ध मूल्य के उन्नयन के लिए स्थापित या संधारित की जाये, के सिवाय किसी अन्य निधि में अभिदाय करने के लिए आबद्ध नहीं होगी:

परन्तु यह और कि कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इसके शुद्ध लाभ के व्ययन का विनिश्चय और लाभांश की घोषणा कर सकेगी। ''।

14. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 49 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 49 में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर, विराम चिह्न '' : '' प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी अपनी निधियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था में विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी।''।

15. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 50 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 50 के विद्यमान उपबंध उसकी उप—धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किये जायेंगे और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप—धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप—धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—

''(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार ले सकेगी और राष्ट्रीय बैंक

या किसी अन्य पुनर्वित्त एजेंसी से सीधे या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकेगी और उसके लिए केवल उस परिसंघीय स्तर जिससे यह संबद्ध है, से वित्त प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा; और

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप जमाओं और उधारों पर ब्याज–दरें विनिश्चित कर सकेगी। ''।

16. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 51 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 51 की विद्यमान उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लघु अवधि साख संरचना सोसाइटी अपनी उधार–नीतियां अवधारित कर सकेगी और सोसाइटी और इसके सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके सदस्यों को व्यक्तिगत उधार विनिश्चित कर सकेगी।''।

17. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 54 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 54 की विद्यमान उप–धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:–

''(9) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी उप–धारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखापरीक्षकों के पैनल में से उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों में से किसी के द्वारा अपने लेखाओं को लेखापरीक्षित और प्रमाणित करा सकेगी:

परन्तु शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के लेखा, राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल में से उसके द्वारा नियुक्त चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टेड अकाउंटेंटों द्वारा लेखापरीक्षित और प्रमाणित किये जायेंगे:

परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी लेखापरीक्षा के लिए प्रतिकर विनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(10) लेखापरीक्षक, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगा।

(11) रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और नियत समय के भीतर–भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट भी देगा।''।

18. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 61 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 61 की विद्यमान उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''(3) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक की लोकहित में इस आशय की सिफारिश के एक मास के भीतर–भीतर जारी कर दिया जायेगा। ''।

19. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 62 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 62 में,–

(i) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''रजिस्ट्रार द्वारा'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''किया जायेगा'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''एक मास के भीतर–भीतर'' अन्तःस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐसी अपेक्षा की जाये तो'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''बैंक की समिति या'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी अपेक्षा के एक मास के भीतर–भीतर'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

20. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 125 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 125 की उप–धारा (1) के अंत में आए हुए विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न '' : '' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु सरकार या रजिस्ट्रार कोई भी ऐसा कार्य या कार्रवाई नहीं करेगा या ऐसा आदेश या निदेश जारी नहीं करेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी को दी गयी किसी स्वतंत्रता या शक्तियों को कम करता हो या इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। ''।

21. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने प्रोफेसर ए.के. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के समक्ष उनकी लघु अवधि सहकारी साख संरचना के पुनःप्रवर्तन के लिए एक वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव रखा था। इस पैकेज में राज्यों की लघु अवधि सहकारी साख संरचना को वित्तीय सहायता के लिए व्यवस्था थी जो भारत सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी।

राजस्थान सरकार ने पैकेज स्वीकार करते हुए दिनांक 14.11.2006 को भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पैकेज के भाग के रूप में राज्य की लघु अवधि साख संरचना में क्रियान्वित किये जाने वाले विधिक सुधारों को समाविष्ट करते हुए सहायता के लिए निबंधनों और शर्तों का उपबंध किया गया था।

दिनांक 14.11.2006 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खण्ड 9 के अन्तर्गत राज्य सरकार से यह अपेक्षित था कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को संशोधित किया जाये ताकि वैद्यनाथन पैकेज के अधीन क्रियान्वित किये जाने वाले विधिक सुधारों को प्रभावी किया जा सके।

तदनुसार, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में संशोधन के लिए एक प्रारूप प्रस्तावित किया गया था और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से विधीक्षित कराया गया था। प्रस्तावित प्रारूप में 2001 के अधिनियम की धारा 2, 5, 15, 27, 28, 29, 30, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 61, 62 और 125 में संशोधनों की परिकल्पना की गयी थी, जबकि चार नयी धाराएं, अर्थात् 27–क, 30–क, 30–ख और 47–क अधिनियम में जोड़ी जानी प्रस्तावित थीं।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 16 अक्टूबर, 2009 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 7) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण भाग 4 (ख) में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है ।

अतः विधेयक प्रस्तुत है ।

परसादी लाल मीणा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001
(2002 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) ''शीर्ष सोसाइटी'' से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्य संचालन के लिए सुविधाएं देना है और जिसके कार्यक्षेत्र का प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है ;

(ख) से (ग) XX XX XX

(घ) ''केन्द्रीय सोसाइटी'' से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र किसी राजस्व जिले से अन्यून राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है और जिसके कम से कम पांच सदस्य स्वयं सोसाइटियां हैं;

(ङ) से (यक) XX XX XX

XX XX XX XX

28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.—

(1) से (2) XX XX XX
XX XX XX XX

(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य निर्वाचित या नियुक्त होने के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहा है:

परन्तु यह निरर्हता सदस्य सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।

(4) से (9) XX XX XX

29. सरकार द्वारा नामनिर्देशन.—(1) जहां सरकार ने—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूँजी में अभिदाय किया है; या

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूँजी के निर्माण में या वृद्धि में परोक्ष रूप से सहायता की है, जैसा कि अध्याय 7 में उपबन्धित है; या

(ग) मूलधन के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है; या

(घ) मूलधन की रकम के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी को दिये गये उधारों और अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है,

तो सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को सहकारी सोसाइटी की समिति में तीन से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगाः

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती केवल सरकारी सेवक होंगेः

परन्तु यह और कि यदि ऐसी सोसाइटी कोई शीर्ष सोसाइटी हो तो सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को संबंधित शीर्ष सोसाइटी के या ऐसी सोसाइटियों के, जिनके प्रचालन के लिए वह प्रसुविधाएं प्रदान करती है, उत्पादन, विपणन, कारबार के प्रबन्ध इत्यादि जैसे किन्हीं भी क्षेत्रों में ऐसी विशेषज्ञता, जो विहित की जाये, रखने वाले व्यक्तियों में से दो से अनधिक अतिरिक्त सदस्य नामनिर्देशित करने का भी अधिकार होगा।

(2) इस अधिनियम या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ सरकार ने किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूँजी में पांच लाख रुपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है वहाँ सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी उप—धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और उसे ऐसी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में

नियुक्त कर सकेगा जो समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा। सरकार या यथाविनिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।

(3) से (5) XX XX XX

30. समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना.–(1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित या जिम्मे लिये गये अन्य विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति या, यथास्थिति, ऐसी समिति के सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी समिति या उसके किसी सदस्य को हटाने के प्रस्ताव पर प्राथमिक सोसाइटी की दशा में, आँचलिक रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान तथा शीर्ष सोसाइटी की दशा में, राज्य सरकार समिति या, यथास्थिति, सदस्य को अपनी आपत्तियों, यदि कोई हों, का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा,–

(क) समिति को हटा सकेगी और सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रशासक नियुक्त कर सकेगी; या

(ख) ऐसी समिति के सदस्य को हटा सकेगी और पदावरोही सदस्य की शेष पदावधि के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति उपविधियों के अनुसार कर सकेगी।

(2–क) से (5) XX XX XX

XX XX XX XX

44. सरकार की वित्तीय भागीदारी या सहायता.—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार,—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूँजी में प्रत्यक्षतः अभिदाय कर सकेगी;

(ख) समुचित उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए, शीर्ष सोसाइटी को अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए धन इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध करा सकेगी कि किसी भी सहकारी सोसाइटी के ऐसे शेयर, प्रत्येक मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं खरीदे जायेंगे;

(ग) सहकारी सोसाइटियों को उधार या अग्रिम दे सकेगी;

(घ) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेन्चरों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उस पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;

(ङ) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूँजी और उस पर लाभांश का ऐसी दरों पर प्रतिसंदाय करने की, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्याभूति दे सकेगी;

(च) किसी सहकारी सोसाइटी को दिये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उन पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;

(छ) किसी सहकारी सोसाइटी को सहायिकियों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अन्य रूप में, वित्तीय सहायता दे सकेगी:

परन्तु सरकारी धन से या तो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या किसी भी अन्य सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खरीदे गये किन्हीं भी शेयरों के संबंध में दायित्व, उसका परिसमापन होने की दशा में, ऐसे शेयरों के संबंध में संदत्त रकम तक सीमित होगा।

(2) XX XX XX XX
XX XX XX XX

48. शुद्ध लाभों का व्ययन.— (1) XX XX

(2) शुद्ध लाभ के अतिशेष का उपयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) सदस्यों को सोसाइटी के साथ उनके द्वारा किये गये कारबार की मात्रा या परिमाण पर उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति से, प्रोत्साहन का संदाय;

(ख) ऐसी विशेष निधि का गठन या उसमें अभिदाय जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये;

(ग) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए या सहकारी आन्दोलन को समर्पित किसी हेतुक के लिए, शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत से अनधिक की रकम का संदाय;

(घ) सोसाइटी के कर्मचारियों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से बोनस का संदाय।

49. निधियों का विनिधान.–कोई सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों का विनिधान निम्नलिखित किसी एक या अधिक में करेगी, अर्थात्:–

(क) केन्द्रीय सहकारी बैंक ;

(ख) शीर्ष सहकारी बैंक ;

(ग) परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये शेयरों या प्रतिभूतियों या डिबेंचरों में;

(घ) नियमों द्वारा या सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से :

परन्तु इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, नागरिक सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्रदत्त दिशा–निर्देश, यदि कोई हों, प्रभावशील रहेंगे।

50. उधार लेने पर निर्बंधन.–सहकारी सोसाइटी निक्षेप और उधार केवल ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त करेगी जो विहित की जायें या जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायें।

XX XX XX XX

62. बीमाकृत सहकारी बैंक.—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में—

(i) XX XX XX

(ii) यदि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) की धारा 13घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा;

(iii) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, लोकहित में या बैंक के कार्यकलापों को जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाये जाने से रोकने के लिये या बैंक का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक की समिति या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये) को हटाये जाने का और उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, प्रशासक की नियुक्ति का आदेश किया जायेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रशासक अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नयी समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक पदारूढ़ रहेगा;

(iv) से (v) XX XX XX

XX XX XX XX

125. कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.—(1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध है या उस सोसाइटी या उसके समस्त सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, ऐसे संकल्प की क्रियान्विति को अन्तरिम रूप से स्थगित करते हुए, उसे विखंडित किया जाना प्रस्तावित कर सकेगा।

(2) से (3) XX XX XX

XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 12 of 2010

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 16th October, 2009.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 2 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) the existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before clause (aa), so renumbered, the following new clause shall be added, namely :-

"(a) "Apex Co-operative Bank" means an apex society which is the federal body of the Central Co-operative Banks in the State and is engaged in the business of banking;";

(ii) in the existing clause (d), for the existing punctuation mark ";", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(iii) after the existing clause (d), so amended, the following new proviso shall be added , namely :-

"Provided that in respect of a short term co-operative credit structure society, restrictions regarding the area of operation shall not be applicable.";

(iv) after the existing clause (d), the following new clause shall be added, namely :-

"(da) "Central Co-operative Bank" means a central society which has primary agricultural credit societies as its members and is engaged in the business of banking;";

(v) after the existing clause (p), the following new clause shall be added, namely :-

"(pa) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (Central Act No. 61 of 1981);";

(vi) after the existing clause (q), the following new clause shall be added, namely:-

"(qa) "primary agricultural credit society" means a co-operative society as defined under clause (cciv) of section 5 of Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949) and is registered under the Act ;";

(vii) after the existing clause (t), the following new clause shall be added, namely:-

"(ta) "Reserve Bank of India" means the Reserve Bank of India established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No. 2 of 1934);"; and

(viii) after the existing clause (x), the following new clause shall be added, namely :-

"(xa) "short term co-operative credit structure society" means a society engaged in short term co-operative credit business either at the apex level, central level or primary level and includes the Apex Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a primary agricultural credit society;".

3. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 5 of the principal Act, after the existing sub-section (3), a new sub-section (4) shall be added , namely :-

"(4) No primary agricultural credit society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)) shall be registered with the word 'bank' or any other derivative of the word 'bank' in its registered name or shall use the same as a part of its name:

Provided that where any primary agricultural credit society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)) has been registered before the commencement of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 7 of 2009) with the word 'bank' or any of its derivatives in its registered name, it shall within three months from the date of such commencement, change its name so as to remove the word 'bank' or its derivative, if any, from its name in accordance with the provisions of section 9:

Provided further that where any society referred to in the preceding proviso fails to comply with the provisions of the said proviso within the period specified therein, the Registrar shall order the winding up of such society.".

4. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 15 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) or sub-section (3), an individual, who deposits in a primary agricultural credit society such minimum amount for such minimum period as may be

specified by the Registrar from time to time, shall be deemed to be the member of that society with full voting rights during the period for which the deposit remains with the society.".

5. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 27 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(2-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) above, there shall be such number of professionals on the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time and having special knowledge or experience in the field of accounting, law, banking, management, agriculture or rural economy or such knowledge or experience in such fields, if any, as may be specified by the Reserve Bank of India and in case such number of professionals do not get elected, the committee of such Apex Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank , as the case may be, shall co-opt such number of professionals with full voting rights irrespective of whether such professionals are members or not:

Provided that where a person has been co-opted as a member of the committee under this sub-section without having the requisite minimum qualifications, his co-option shall be treated as null and void and shall be removed from the office after giving him a reasonable opportunity of being heard.".

6. Insertion of a new section 27-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-After the existing section 27 and before the existing section 28 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"27-A. Appointment and Removal of the Chief Executive Officer.-(1) The Chief Executive Officer of the

Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall be appointed by the committee of the concerned bank and fulfil such criteria as may be stipulated by the Reserve Bank of India.

(2) A person who does not fulfil the criteria for the post of the Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank as stipulated by the Reserve Bank of India shall be treated as ineligible for such post and if such person is holding the post, he shall be removed on receipt of advice to this effect from the Reserve Bank of India or the National Bank.".

7. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 28 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) No person shall be eligible for being elected or appointed as a member of a committee or for continuing as member on the committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months:

Provided that this disqualification shall not apply on a member society."; and

(ii) after sub-section (3), amended as aforesaid, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be eligible for being elected, co-opted, nominated, or otherwise appointed, or for continuing as a member of the committee of a Central Co-operative Bank or the Apex Co-operative Bank, if he –

(i) represents a society other than a primary agricultural credit society and such society is

in default to such bank, in respect of any loan or loans taken by it for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who is defaulter of a primary agricultural credit society or is a representative of a defaulting primary agricultural credit society for a period exceeding one year unless the default is cleared; and

(iii) is a person, who represents a society whose committee is superseded or has ceased to be a member on the committee of his own society.".

8. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 29 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(ii) after the existing proviso to sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that the State Government shall have right to nominate only one member on the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks if the Government has subscribed to the share capital and shall not nominate any member on the committee of a primary agricultural credit society irrespective of the Government's subscription to the share capital."; and

(iii) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws of a society, where the Government has subscribed to the share capital of a

co-operative society other than a short term co-operative credit structure society to the extent of five lakh rupees or more, the Government or any other authority specified in this behalf may nominate another member in addition to those nominated under sub-section (1) and appoint him as Chief Executive Officer of such society who shall be the *ex-officio* Member-Secretary of the committee. The Government or such authority as specified may also appoint any other Executive Officer to assist the Chief Executive Officer in such society.".

9. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 30 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of a co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, or wilfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government, or is otherwise not discharging its or his functions properly, or in the case of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, does not comply with the regulations made or issued by the Reserve Bank of India from time to time in respect of such societies or does not fulfil any eligibility criteria specified by the Reserve Bank of India and a request has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank

to that effect, the Registrar may propose removal of such committee or the member of such committee, as the case may be.";

(ii) in the existing sub-section (2), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of clause (b), the punctuation mark ":" shall be substituted;

(iii) after the existing sub-section (2), so amended, the following new provisos shall be added, namely:-

"Provided that before removal of the committee of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank under this section the Reserve Bank of India shall be consulted:

Provided further that the process of removing the committee and appointing an administrator of the Apex Co- operative Bank or a Central Co-operative Bank on the recommendation of the Reserve Bank of India shall be completed within one month of such recommendation:

Provided also that the committee of a primary agricultural credit society shall not be removed except on the following conditions, namely:-

(a) the society has incurred losses for three consecutive years; or

(b) serious financial irregularities or frauds have been identified in the society; or

(c) there are judicial directives to this effect; or

(d) there is perpetual lack of quorum in the committee;"; and

(iv) after the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(6) Notwithstanding anything contained in this Act, the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Bank shall be removed

or superseded by the Registrar in public interest at the recommendation of the Reserve Bank of India within one month of being so advised.".

10. Insertion of new sections 30-A and 30-B in Rajasthan Act No. 16 of 2002.-After the existing section 30 and before the existing section 31 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"30-A. Obligations of the Registrar to ensure compliance of Reserve Bank of India's regulatory prescriptions.-(1) The Registrar shall ensure that Reserve Bank of India's regulatory prescriptions including recommendation for supersession of the committee or winding up of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks are implemented within one month of being advised by the Reserve Bank of India.

(2) The Registrar shall ensure that the liquidator or the Administrator, as the case may be, is appointed within one month of being advised by the Reserve Bank of India for winding up or supersession of the committee.

(3) The Registrar shall, within one month, ensure removal of Chief Executive Officer of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank who does not fulfil eligibility criteria specified by the Reserve Bank of India and a request has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank to that effect.

(4) The Registrar shall, within one month, on being advised by the Reserve Bank of India or the National Bank, ensure removal of any person elected or co-opted as a member of the committee under sub-section (2-A) of section 27 without having the requisite qualification mentioned therein.

30-B. Autonomy in all financial and internal administrative matters.–Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in

force, a short term co-operative credit structure society shall have autonomy in all its financial and internal administrative matters including the following areas, namely:-

(a) personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff;

(b) issues relating to affiliation and disaffiliation with any federal structure of its choice including entry and exit at any level;

(c) area of operation according to its business requirements; and

(d) internal control systems.".

11. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 44 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing proviso to sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added , namely :-

"Provided further that the Government shall not hold more than twenty-five percent of the total share capital of a short term co-operative credit structure society and such society or the Government shall have option to further reduce the Government's share capital.".

12. Insertion of a new section 47-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-After the existing section 47 and before the existing section 48 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**47-A. Prudential norms.-**A primary agricultural credit society shall follow such prudential norms including Capital to Risk Weighted Assets Ratio as may be specified by the Registrar from time to time in consultation with the National Bank.".

13. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 48 of the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing sub-section (2), so amended, the following new provisos shall be added, namely :-

"Provided that a short term co-operative credit structure society shall not be bound to contribute to any funds other than funds as may be established or maintained for the improvement of its net worth:

Provided further that a primary agricultural credit society may decide disposal of its net profits and declare dividend as per the guidelines issued by the Registrar in consultation with the National Bank.".

14. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In section 49 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added , namely :-

"Provided further that a short term co-operative credit structure society may invest or deposit its funds in any bank or financial institution regulated by the Reserve Bank of India.".

15. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-The existing provisions of section 50 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1), so renumbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a short term co-operative credit structure society may –

(i) borrow from any bank or financial institution regulated by the Reserve Bank of India and

refinance from the National Bank or any other refinancing agency directly or through any financial institution regulated by the Reserve Bank of India and not necessarily from only the federal tier to which it is affiliated; and

(ii) decide interest rates on deposits and loans in conformity with the guidelines issued in this regard by the Reserve Bank of India.".

16. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (5) of section 51 of the principal Act, the following new sub-section shall be added , namely :-

"(6) Notwithstanding anything contained in this section, a short term co-operative credit structure society may determine its loan policies and decide individual loan to its members keeping in view the interests of the society and its members.".

17. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-After the existing sub-section (8) of section 54 of the principal Act, the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(9) Notwithstanding anything contained in this section, a primary agricultural credit society may get its accounts audited and certified by any of the auditors appointed by it from the panel of auditors prepared under sub-section (1):

Provided that the accounts of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank shall be audited and certified by Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountant Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949) appointed by it from the panel approved by the National Bank:

Provided further that the short term co-operative credit structure society shall be free to decide the compensation for audit.

(10) The auditor who audits the accounts of a short term co-operative credit structure society shall endorse a copy of the audit report to the Reserve Bank of India, the National Bank and the Registrar.

(11) The Registrar shall ensure conduct of special audit of State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank if requested by the Reserve Bank of India in the manner and form stipulated by the Reserve Bank of India and also furnish the report to Reserve Bank of India within the time stipulated.".

18. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-section (2) of section 61 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), an order for winding up of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall be issued within one month of the recommendation of the Reserve Bank of India to that effect in public interest.".

19. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 62 of the principal Act,-

(i) in clause (ii), after the existing expression "the Registrar" and before the existing expression "if so required", the expression "within a month" shall be inserted; and

(ii) in clause (iii), after the existing expression "an order shall be made" and before the existing expression "for the removal of", the expression, "by the Registrar within one month of such requisition" shall be inserted.

20. Amendment of section 125, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-In sub-section (1) of section 125 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and after the existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

> "Provided that the Government or the Registrar shall not do anything or take action or issue any order or directive which has effect of curtailing any of the freedom or powers given under this Act to any short term co-operative credit structure society or adversely affect the provisions of this Act.".

21. Repeal and savings.-(1) The Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 7 of 2009) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by this said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India had offered a financial package before the States for revival of their short term cooperative credit structure on the basis of the recommendations of a committee constituted in chairmanship of Professor A.K.Vaidyanathan. The package had a provision for financial assistance to the short term co-operative credit structure of the States to be provided by the Government of India as well as the State Governments.

The Government of Rajasthan, accepting the package, signed a tripartite Memorandum of Understanding with the Government of India and the National Bank for Agriculture and Rural Development on 14.11. 2006, which provided terms and conditions for the assistance comprising, *inter alia*, the legal reforms to be implemented in the short term cooperative credit structure of the State as part of the package.

Under clause 9 of the Memorandum of Understanding signed on 14.11.2006, the State Government was required to get the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 amended so as to give effect to the legal reforms to be implemented under the Vaidyanathan Package.

Accordingly, a draft for amendment in the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 was proposed and got vetted from the National Bank for Agriculture and Rural Development. The proposed draft envisaged amendments in sections 2, 5, 15, 27, 28, 29, 30, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 61,62 and 125 of the Act of 2001, whereas four new sections, viz. 27-A, 30-A, 30-B and 47-A were proposed to be added in the Act.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 7 of 2009) on 16th October, 2009, which was published in the Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 16th October, 2009.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

परसादी लाल मीणा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001
(Act No. 16 of 2002)

XX XX XX XX

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "apex society " means society whose core objects is to provide facilities for the operation of other societies Affiliated to it and whose are of operation extends to the whole of the State of Rajasthan;

(b) to (c) XX XX XX

(d) "Central society" means a society whose area of operation is confined to a part of the State not being less than a revenue district and which has in its main objects the promotion of the core objects of, and the provision of facilities for the operations of, other societies affiliated to it; and at least five members of which are societies themselves;

(e) to (za) XX XX XX
XX XX XX XX

28. Disqualification of membership etc. of committees.-(1) to (2) XX XX XX

(3) No person shall be eligible for being elected or appointed as a member of a committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months:

Provided that this disqualification shall not apply on a member society.

(4) to (9) XX XX XX

29. Nomination by the Government.-(1) Where the Government has-

(a) subscribed to the share capital of a co-operative society; or

(b) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VII; or

(c) guaranteed the repayment of the principal and payment of interest of debentures issued by a co-operative society; or

(d) guaranteed the repayment of principal amount and payment of interest on loans and advances to a co-operative society,

the Government or any authority specified by the Government in this behalf shall have the right to nominate not more than three members on the committee of a co-operative society:

Provided that such nominees shall be Government servants:

Provided further that if such society is an apex society, the Government or any authority specified by the Government in this behalf shall also have right to nominate not more than two additional members from amongst persons having such expertise, as may be prescribed, in any of the field like production, marketing, management etc. of the business of the concerned apex society or of the societies for operation of which it provides facilities.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws of a society, where the Government has subscribed to the share capital of a co-operative society to the extent of five lacs of rupees or more, the Government or any other authority specified in this behalf may nominate another member in addition to those nominated under sub-section (1) and appoint him as Chief Executive Officer of such society, who shall be the ex-officio Member-Secretary of the committee. The Government or such

authority as specified may also appoint any other Executive Officer to assist the Chief Executive Officer in such society.

(3) to (5) XX XX XX

30. Removal of committee or member thereof.-(1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of a co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, or willfully disobeys direction issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co- operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government, or is otherwise not discharging its or his functions properly, the Registrar may propose removal of such committee or the member of such committee, as the case may be.

(2) On the proposal to remove a committee or a member thereof under sub-section (1), the Zonal Registrar, in case of a primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan in case of a central society and the State Government in case of an apex society, may, after giving the committee or the member, as the case may be, a reasonable opportunity to state its or his objections, if any, by order in writing,-

(a) remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society for a period not exceeding six months; or

(b) remove the member of such committee and get the vacancy filled up for the remainder of the term of the outgoing member, according to the bye-laws.

(2-A) to (5) XX XX XX
XX XX XX XX

44. Financial partnership or aid of the Government.-(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Government may-

(a) subscribe directly to the share capital of a co-operative society;

(b) subject to the appropriate bye-laws, provide moneys to an apex society for purchase of share in other co-operative societies, subject to the condition that no such shares in any co-operative society shall be purchased except with the previous approval of the Government in each case;

(c) give loan or make advances to co-operative societies;

(d) guarantee the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a co-operative society;

(e) guarantee the repayment of share capital of co-operative society and dividends thereon, at such rates as may be specified by the Government;

(f) guarantee the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a co-operative society;

(g) give financial assistances in any other form, including subsidies, to any co-operative society:

Provided that liability in respect of any shares purchased with Government money either directly by the Government or through any other co-operative society shall, in the event of its being wound up, be limited to the amount paid in respect of such shares.

(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX

48. Disposal of net profits.-(1) XX XX

(2) The balance of the net profits may be utilised for all or any of the following purposes, namely:-

(a) payment of incentive to members on the amount or volume of business done by them with the society, to the extent and in the manner specified in the bye-laws;

(b) constitution of, or contribution to, such special fund as may be specified in the bye-laws;

(c) donations of amounts not exceeding ten percent of the net profits for any charitable purpose as defined in section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act 6 of 1890); or for a cause dedicated to the co-operative movement;

(d) payment of bonus to employees of the society, to the extent and in the manner specified in the bye-laws

49. Investment of funds.-A co-operative society shall invest its funds in one or more of the following, namely:-

(a) Central Co-operative Bank;

(b) Apex Co-operative Bank;

(c) in the shares or securities or debentures issued by any other co-operative society with limited liability;

(d) in any other mode permitted by the rules or by general or special order of the Government:

Provided that notwithstanding anything contained in this section, the guidelines, if any, issued by the Reserve Bank of India in this regard for the Urban co-operative Banks shall have effect.

50. Restrictions on borrowings.-A co-operative society shall received deposits and loans only to such extent and under such conditions as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws.

XX XX XX XX

62. Insured Co-operative Bank.-Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of an Insured Co-operative Bank-

(i) XX XX XX

(ii) an order for the winding up of the Bank shall be made by the Registrar if so required by the Reserve Bank of India in the circumstances referred to in section 13D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961);

(iii) if so required by the Reserve Bank of India in the public interest or for preventing the affairs of the Bank being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or for securing the proper management of the Bank, an order shall be made for the removal of the committee or other managing body (by whatever named called) of the Bank and the appointment of an administrator therefor for such period or periods, not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank of India, and the administrator so appointed shall, after the expiry of his term of office, continue in office until the day immediately preceding the date of the first meeting of the new committee;

(iv) to (v) XX XX XX

XX XX XX XX

125. Power of Registrar to rescind certain resolutions.- (1) If in the opinion of the Registrar, any resolution passed at the meeting of any co-operative society or committee thereof is opposed to the objects of the society or is prejudicial to the interests of the society or its members at large, or is in excess of the powers of the society, the Registrar may, staying execution of the resolution interimly, propose to rescind the resolution.

(2) to (3) XX XX XX

XX XX XX XX

Bill No. 12 of 2010

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

———

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

———

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

———

H. R. KURI,
Secretary.

(PARSADILAL MEENA, **Minister-Incharge**)

2010 का विधेयक सं. 12

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(परसादी लाल मीणा, **प्रभारी मंत्री**)